

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.20()राभ/उद्यान/चारा/१९९५

दिनांक: १५ मार्च, 2018

सीमित निविदा विज्ञप्ति

राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई कार्य के लिए दरें/निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 21.03.2018 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की लागत रुपये 99,000/- समर्त करों सहित होगी।

इच्छुक फर्म दिनांक 15.03.2018 से बोली प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट [www.rajbhawan.rajasthan.gov.in](http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

—१८—  
कन्ट्रोलर,  
राज्यपाल, हाउसहोल्ड  
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.20()राभ/उद्यान/चारा/१९९६

दिनांक: १५ मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. श्री विजय सिंह, प्रोग्रामर, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, को राजभवन की साईट [www.rajbhawan.rajasthan.gov.in](http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
4. रक्षित पत्रावली

(८१)  
कन्ट्रोलर,  
राज्यपाल, हाउसहोल्ड  
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :—

सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान,  
राजभवन, जयपुर।

सीमित बोली प्रपत्र

राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई सप्लाई दरों बाबत।

बोलीदाता का नाम:—.....

पता:—.....

क्रम सं०	कार्य का विवरण	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर रूपये प्रति मन (40KG )	जी.एस.टी./कर की दर प्रतिशत में
1	राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई बाबत		

नोट :— कृपया कर दर पृथक से अंकित करें।

दिनांक .....:

विडदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

राज्यपाल सचिवालय  
राजभवन, जयपुर

निविदा की शर्तें

कार्य का नाम:- राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई दरों बाबत ।

1. इस कार्य की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च , 2019 होगी ।
2. ज्वार कुट्टी सुखी , खक रहीत, होनी चाहीये तथा मॉग के अनुसार राजभवन गो—शाला को अधिकतम दो दिवस में आपूर्त करनी होगी ।
3. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा ।
4. निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा । निविदा डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी ।
- 5..निविदा दर सिर्फ स्थाही से भरी जावे उसमें कोई काट-छांट ना हो । किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें ।
- 6.. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 7.ठेकेदार ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/संस्था को नहीं देगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा ।
8. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है ।
- 9.. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर, के नाम करना होगा । ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी ।
10. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा ।
- 11.राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी ।
- 12.जी.एस.टी.नम्बर अंकित करें ।

विडाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर